हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

वीरवार, 03 सितम्बर, 2026/12 भाद्रपद, 1948(शक्)

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए
   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **शून्यकाल:**

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, अध्याय-XI विविध प्रावधान की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (संयुक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार।

4. विधायी कार्य:

<u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(1) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15)	करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12)	यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11)	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(4) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16)	सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:**

दिनांक 31.08.2026 को प्रस्तुत प्रस्ताव "**युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन**" पर चर्चा का उत्तर दिया जाएगा।

6. **नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:**

(1) **श्री नीरज नैय्यर (3-चम्बा),** Will make special mention regarding "The existing structure, seniority and promotional rights of the Ministerial Cadre of Treasury Officers/Superintendent."

(2) **श्री दलीप ठाकुर (35-सरकाघाट),** HPRCA द्वारा JOA (IT) पोस्ट कोड 939 द्वारा चयनित प्रतीक्षारत पैनल के 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न जारी करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री विनोद सुल्तानपुरी (54-कसौली),** जिला प्रशासन द्वारा टैक्सी वाहन उपलब्धता हेतु आमंत्रित निविदा में L-1 सेवा प्रदाता को कार्य न दिए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री सतपाल सिंह सत्ती (44-ऊना),** जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर कार्यरत TSP एवं कम्पयूटर ऑपरेटरों के तीन माह के लंबित वेतन भुगतान कर नियमित एवं समयबद्ध वेतन सुनिश्चित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(5) **श्री बलबीर सिंह वर्मा (60-चौपाल),** कुपवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य पूर्ण न होने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** सरकारी एवं निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड को ईलाज के दौरान स्वीकार न करना तथा लम्बित भुगतान बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(7) **श्री दलीप ठाकुर (35-सरकाघाट),** विवाहित बेटियों के EWS आय प्रमाण-पत्र में माता-पिता की आय शामिल न करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(8) **श्री बलबीर सिंह वर्मा (60-चौपाल),** राजकीय डिग्री कॉलेज, चौपाल के भवन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(9) **श्री दलीप ठाकुर (35-सरकाघाट),** भाषा अध्यापक (हिन्दी) के 3 प्रतिशत खेल कोटे के रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(10) **श्री नीरज नैय्यर (3-चम्बा),** ग्राम रोजगार सेवकों के लंबित चार माह के वेतन का भुगतान, सेवाओं का नियमित वेतनमान व पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को एकमुश्त समायोजन सुनिश्चित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(11) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा (67-रोहड़ू),** सारस-खांगतेरी सड़क निर्माण में हो रही देरी व ठेकेदार को किए गए भुगतान बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 02 सितम्बर, 2026 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)